उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर

FORM "E"

FORM OF SUPPLY OF INFORMATION TO THE APPLICANT

[See Rule 4(3) of the High Court of Madhya Pradesh (Right to Information) Rules. 2006]

No. RTIA/DR./HCIND/ 1921 Indore, dated 26-08-2017

द्वारा,

डिप्टी रजिस्ट्रार,
राज्य लोक सूचना अधिकारी,
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर

प्रति,

श्री कैलाश नारायण शर्मा,
पिता श्री शंकर लाल जी शर्मा,
आयु 79 साल, धंधा एडवोकेट,
निवासी हाउस नं- 327, ई.के. स्कीम संख्या 54,
विजय नगर, इंदौर (मध्य प्रदेश)

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 **अंतर्गत जानकारी प्राप्ती बाबत् ।**

संदर्भ:-

(1) **आपका आवेदन पत्र** Form-A **दिनांक** 20/07/2017 **प्राप्ति दिनांक** 28 /07/2017 marked Id. No. : 32/2017-18

उपरोक्त संदर्भित आवेदन पत्र अंतर्गत निम्नलिखित जानकारी चाही गयी है :-

"आवक रजिस्टर दिसम्बर 2010 अभिलेखागार, उच्च न्यायालय, इंदौर आवक रजिस्टर माह दिसम्बर 2010 प्राप्त प्रकरण प्रविष्टी का अवलोकन उपरोक्त सन् 2010 के आवक के रजिस्टर माह दिसम्बर 2010 का अवलोकन ।

राज्य सूचना आयोग, म.प्र भोपाल के आदेश दिनांक 27.01.2015 के पालन में आदेश की प्रति ।"

1. उपरोक्त संदर्भ में प्रभारी आवक शाखा व सम्बंधित अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 26.08.2017 को निम्नानुसार सूचना प्रस्तुत (संलग्न) की गई है।

O/C

श्री कैलाश नारायण शर्मा पिता श्री शंकर लाल शर्मा, उम्र 79 वर्ष, निवासी–मकान न. 327 इ.के. स्कीम न. 54, विजय नगर, इन्दौर, द्वारा सूचना का अधिकार मे प्रस्तुत आवेदन आइ.डी क्र. 32/2017–18 दि. 29.07.2017 के संदर्भ में निवेदन हैं कि माह दिसंबर 2010 से सम्बंधित आवक रजिस्टर प्रकरण प्रविष्टी, हाईकोर्ट ऑफ म.प्र रूल्स 2008 के तहत विनष्ट किया जा चुका है ।

2. जहाँ तक माननीय राज्य सूचना आयुक्त, भोपाल के प्रकरण क्र. 3851/2011 में पारित आदेश दि. 27.01.2015 जिसके द्वारा माननीय राज्य सूचना आयोग द्वारा आपकी अपील को स्वीकार किया जाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को आदेशित किया गया था कि उक्त आदेश की प्राप्ति से एक माह के भीतर अपीलार्थी को मूल आवेदन के अनुसार संदर्भित जावक रजिस्टर का अवलोकन निःशुल्क कराया जाकर

26/08/17

2-

तदुपरान्त आगामी 15 दिवस में चिंहित प्रविष्ठियों कि प्रति निःशुल्क प्रदान की जावे एवं माननीय राज्य सूचना आयोग के मेमो क्र. /ए–3951/आई–सीं–1/इन्दौर/2011/728 भोपाल, दिनांक 09.02.2015 को उपरोक्त वर्णित आदेश दिनांक 27.01.2015 की प्रति सहित प्राप्त हुआ था, जिसके पालन में अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा आपको दिनांक 04.03.2015 को आपके मूल आवेदन दि. 26.02.2011 रजिस्टर्ड आई.डी क्र 04/2011 के अनुसार संदर्भित जावक रजिस्टर का अवलोकन निःशुल्क करवाया गया था जिसके अवलोकन पश्चात आपने अद्योहस्ताक्षरकर्ता को दिनांक 04.03.2015 लिखित मे आवेदन पत्र दिया था कि उक्त जावक रजिस्टर अवलोकन करने के पश्चात आप इस निष्कर्ष पर पहुचें हैं कि आपको उपरोक्त जावक रजिस्टर की चिंहीत प्रविष्ठियों में से किसी की भी आवश्यकता नहीं हैं अतः आपके द्वारा प्रस्तुत मूल आवेदन दि 26.02.2011 रजिस्टर्ड आई.डी. क्र. 04/2011 को समाप्त किया जाये क्योकि आप इस सम्बंध में कोई कार्यवाही नहीं चाहते है।

3. आपके द्वारा दि 04.03.2015 को उपरोक्त अनुसार लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा आपके सूचना का अधिकार संबंधी मूल आवेदन रजिस्टर्ड आई. डी. क्र 04/2011 से सम्बंधित कार्यवाही समाप्त की गयी थी। तत्पश्चात भी आपने एक आवेदन पत्र आवक क्र. 1130 दि 01.06.2017 को आपके उपरोक्त आवेदन क्र. 04/2011 पर कार्यवाही करने बाबद पुनः प्रस्तुत किया था जिसके सम्बंध में अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा मेमोरेंडम क. लो.सू.अ/डी.आर–क्यू 1241 इन्दौर दि. 12.07.2017 के माध्यम से आपको विस्तृत सूचना दी गई जो कि स्पीड पोस्ट क्र. **EI775205024IN** दिनांक 13.07.2017 को आपको प्रेषित की गई थी तथा **INDIA POST** के **TRACK CONSIGNMENT** कि रिपोर्ट अनुसार उक्त सूचना को आपको दि. 14.07.2017 को डिलीवर कर दिया गया है।

सूचना अधिनियम 2005 के अधिकार के अनुभाग 19 के अनुसार आप इस आदेश के 30 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी (प्रिंसीपल रजिस्ट्रार, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, खंडपीठ इन्दौर) को अपील कर सकते हैं।

संलग्न : उपरोक्तानुसार ।

(राजेश शर्मा)
डिप्टी रजिस्ट्रार सह
लोक सूचना अधिकारी
26.08.17